



क्र. नं. 227/2016 वानाराम काम सुल्तान  
दादा

किंवा जन्म ही कमी ल वकी-  
वी- लम पक्षीय बंध सुनी गल्ली  
बुलगात पिपॉटे पर कमी ल वाकी  
सहमत ही तैत! सुलगिम इरि-  
जात पिपॉटे वाकी ल वाद  
डिबी किंवा जन्म ही फलवली  
फिसल कमा एम दम मय  
हे बम थे, तम दादिले दम  
हो

निपखण्ड अधिकारी  
कोटपूरती जयपुर

सुल्तान  
उमराव  
जगीदश  
ओमी पुत्र  
ओमवती  
सुनीता  
विकास  
किस्मत  
प्रियंका  
लाली पुत्र  
नाबालिग  
राजस्थान  
शाखा प्र

नोट : इस खर्चे  
दर्ज करना चाहि  
पेज नम्बर 1 क  
कानाराम पुत्र स

1. सुल्तान
2. उमराव
3. जगीदश
4. ओमी पुत्र
5. ओमवती
6. सुनीता
7. विकास
8. किस्मत
9. प्रियंका
10. लाली पुत्र
11. राजस्थान
12. शाखा प्र



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटपूतली  
बईजलास श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी  
कानाराम पुत्र श्री फूलचन्द बनाम सुल्तान वगैरह

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा

मुकदमा नम्बर - 227.....सन....2016.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.....व हाजिरी.....  
मितजानिब मुदई रूबरू.....मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है  
- जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नं0 995/0.93, 997/1/0.21, हैक्ट0 भूमि का कानाराम पुत्र फूलचन्द जाति चमार सा0 देह खसरा नं0 995 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी रहिन बैंक ऑफ बडोदा शखा कोटपूतली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।
2. ग्राम पवाना अहीर तहसील कोटपूतली के आराजी खसरा नं0 995/1/0.13, 996/0.85, 997/1.38 तथा 998/0.78 हैक्ट0 का सुनीता देवी पत्नी स्व0 यादराम, विकास पुत्र यादराम, किस्मत, प्रियंका, लाली पुत्रीयान यादराम एवं नाबालिग सरक्षंक माता खुद हिस्सा 86/314, उमराव पुत्र मंगल हि0 143/314 जाति चमार सा0 देह, ओमी पुत्र फूलाराम, ओमवती पत्नी ओमी हिस्सा 85/314 जाति बावरिया निवासी कुजोता, उमराव पुत्र मंगल का हिस्सा रहिन बैंक ऑफ बडोदा शखा कोटपूतली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह.....  
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 107 सन 2017 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत

ओहदा

  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटपूतली

दावास संख्या 227 / 2016

कानाराम पुत्र श्री फूलचन्द बनाम सुल्तान वगैरह

| मुदई   | रूप्ये | पैसे | रेस्पोंडेन्ट   | रूप्ये | पैसे |
|--|--------|------|--|--------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वहज सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कनिश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br><br>मीजान |        |      | स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वहज सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कनिश्नर<br>बबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक<br><br>मीजान |        |      |

नोट :इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

पेज नम्बर 1 का शेष :-

कानाराम पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द जाति चमार निवासी पवाना अहीर तहसील कोटपूतली

वादी.....

बनाम

1. सुल्तान
2. उमराव पुत्रान गंगला
3. जगीदश पुत्र फूलचन्द समस्त जाति चमार निवासी पवाना अहीर तहसील कोटपूतली
4. ओमी पुत्र फूलाराम
5. ओमवती पत्नी फूलाराम समस्त जाति बावरिया निवासी कूजोता तहसील कोटपूतली
6. सुनीता देवी पत्नी यादराम
7. विकास पुत्र यादराम
8. किस्मत
9. प्रियंका
10. लाली पुत्रियान स्व0 यादराम  
नाबालिग जरिये कुदरती माता सुनीता देवी पत्नी स्व0 यादराम समस्त जाति चमार
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली
12. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा शाखा कोटपूतली



प्रतिवादीगण.....

  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटपूतली